

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ ।

आदेश पत्रक

आ पत्रक - ता० राती अंगेरिया बालूमाथ से मो० आबुलकैयद वरी० तक

१ - बालूमाथ जिला- लातेहार वाद संख्या- 24 / 2021-22

का प्रकार विविध वाद

आदेश की सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
4.9.21	आवेदक धर्मा अंगेरिया पिता स्व० चमरा अंगेरिया आमा- माधियातु शी०- हिलेरा धर्मा- बालूमाथ के साथ आवेदन दिया गया है कि श्रीमा- माधियातु श्वाना न० 66 एम० न० 657 अर्थात् एका 33 डीसील में 85 डीसील ममी का बाल सर्व अप्रतिभा में हकीम अवाह के नाम दर्ज हो गया है। 35 डी० ममी की 1. मो० आबुलकैयद 02. आबुल कैय 03. आबुल कैय 4. मो० ओथैद धर्मा के पिता स्व० हकीम अवाह आमा- माधियातु साथ देव दिया गया है। इस 35 डीसील ममी में 10 डीसील ममी में पिता स्व० चमरा अंगेरिया डाय 1988 में 10 डीसील ममी में पुत्री पिता स्व० इंद्रीय धर्मा के देव दिया गया है। साथ हेतु आवेदन दिया गया है। उक्त पदा की नीति निर्धार कर। वह जे अगली तिथि को राजस्व काजों के साथ उपस्थित रहे। वाद की अगली तिथि 15.9.21 को निर्धारित है। प.न.म अंचल अधिकारी बालूमाथ	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित नोटिस धावा बालूमाथ जिला

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ ।

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक - ता०

से

तक

जिल - बालूमाथ जिला- लातेहार

वाद संख्या-

/2021-22

आदेश का प्रकार

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
13.12.2022	अभिलेख उपस्थापित । उभयपक्ष पक्ष उपस्थित । द्वितीय पक्ष अनुपस्थित । द्वितीय पक्ष के हानि हंग अतिरिक्त नोटिस निर्गम करे । अभिलेख दिनांक 21.01.2023 के उपस्थापित करे । अंचल अधिकारी बालूमाथ	
21.01.23	अभिलेख उपस्थापित । उभय पक्ष अनुपस्थित । वाद की सुनवाई नहीं हो सके । अभिलेख दिनांक 25.02.2023 के उपस्थापित करे । अंचल अधिकारी बालूमाथ	

नोटिस प्राप्त किया ।
अभिलेख दिनांक 21.01.23

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कारवाई के बारे में दिवसीय तारीख सहित

2

3

23 अगिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित।
उभय पक्ष से हमाट से अविम नोटिस
निकाल करे। अगिलेख दिनांक 26.05.2023 से
उपस्थापित करे।


अनिल कुमार
हालूभाय

05.2023 अगिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित।
हमाट उभय पक्ष से नोटिस के वाक्य अनुपस्थिति
के कारण वाद की अर्द्ध समाप्त की गयी है।


अनिल कुमार
हालूभाय